

यू.पी.एस.आई.डी.सी. द्वारा विकसित/नवविकसित औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक भूखण्ड प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

विकसित औद्योगिक क्षेत्रों के अन्तर्गत जनपद आगरा में ईपीआईपी, जनपद मथुरा में आईआईडीसी कोसी-कोटवन, मथुरा साईट-बी एवं जनपद फिरोजाबाद में तथा नवविकसित औद्योगिक क्षेत्रों लेंदर पार्क आगरा एवं कोसी-कोटवन विस्तार-1, मथुरा में निम्न प्रकार के भूखण्ड उपलब्ध हैं

विकसित औद्योगिक क्षेत्र

क्र. सं.	औ.क्षे. का नाम	भूखण्डों का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	भूमि दर (लोकेशन एवं कार्बन चार्जस अतिरिक्त, यदि देय हो)
1.	ईपीआईपी आगरा	600	रु. 4500/- (प्रति वर्ग मी.)
2.	आईआईडीसी कोसी-कोटवन मथुरा	145,200 एवं 300	रु. 2500/- (प्रति वर्ग मी.)
3.	मथुरा साईट-बी	500, 600, 800 एवं 1200	रु. 1350/- (प्रति वर्ग मी.)
4.	फिरोजाबाद	450, 600 एवं 800	रु. 900/- (प्रति वर्ग मी.)

नवविकसित औद्योगिक क्षेत्र

क्र. सं.	औ.क्षे. का नाम	भूखण्डों का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	भूमि दर (लोकेशन एवं कार्बन चार्जस अतिरिक्त, यदि देय हो)	क्र. सं.	औ.क्षे. का नाम	भूखण्डों का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	भूमि दर (लोकेशन एवं कार्बन चार्जस अतिरिक्त, यदि देय हो)
1.	लेंदर पार्क आगरा	1000, 2100 एवं 4000	रु. 2750/- (प्रति वर्ग मी.)	1.	कोसी-कोटवन विस्तार-1 मथुरा	600, 800, 1000, 1800 एवं 4000	रु. 2200/- (प्रति वर्ग मी.)

मुख्य आकर्षण आगरा से 17 कि.मी. की दूरी पर आगरा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर विकसित किये जा रहे लेंदर पार्क में प्रदूषण रहित चर्म आधारित इकाईयों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित।

मुख्य आकर्षण • राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 पर दिल्ली-आगरा के मध्य 100 किमी की दूरी पर स्थित • श्री कृष्ण जन्मस्थली, मथुरा से लगभग 40 किमी ब्रज क्षेत्र में कोसी की पावन भूमि पर स्थित • उ.प्र. सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना यमुना एक्सप्रेस-वे के मध्य पड़ने वाले कट बाजना (प्रस्तावित) से जोड़ने पर यमुना एक्सप्रेस-वे की दूरी मात्र 25 किमी

योजना प्रारम्भ की तिथि : 11.10.2012 एवं आवेदन की अन्तिम तिथि : 20.11.2012

मुख्य शर्तें :- • आवेदन पत्र शुल्क रु.500/- + रु.25/- बिक्रीकर के नकद भुगतान पर क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा से दिनांक 11.10.2012 से दिनांक 20.11.2012 तक किसी भी कार्यदिवस में पूर्वाह्न 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं • आवेदन पत्र के साथ प्रक्रिया शुल्क रु. 2000/- (एक एकड़ तक) एवं भूखण्ड के मूल्य का 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि (उपरोक्तानुसार) दो अलग-अलग बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से जो यू.पी.एस.आई.डी.सी. लिमिटेड के पक्ष में आगरा पर देय हों, को चालान के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, शाखा मण्डली विणित, सिकन्दरा, आगरा में जमा करना अनिवार्य है • पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र, हस्ताक्षरित प्रोजेक्ट रिपोर्ट, रफ ले-आउट एवं आवेदन पत्र में वर्णित अन्य प्रपत्रों सहित दिनांक 11.10.2012 से दिनांक 20.11.2012 तक कार्यालय समय में क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा में जमा किये जा सकते हैं • अवस्थापना सुविधाएं: औद्योगिक इकाईयों हेतु वांछित आवश्यक मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध हैं • आवंटन प्रक्रिया - अर्ह आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार के समय आवेदक को तकनीकी अनुभव, वित्तीय क्षमता, परियोजना से सम्बन्धित सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। सफल आवेदकों को आवंटन पत्र जारी किये जायेंगे। उन्हें आवंटन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर भूखण्ड के मूल्य का 25 प्रतिशत आरक्षण धनराशि (उपरोक्त धरोहर धनराशि के समायोजन के उपरान्त शेष धनराशि) के रूप में बैंक ड्राफ्ट उपरोक्तानुसार चालान के माध्यम से जमा कराने होंगे। अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 12 छमाही किरातों में 14 प्रतिशत ब्याज सहित जमा करानी होगी (समय पर भुगतान पर 2 प्रतिशत की छूट)। • भूखण्ड 90 वर्ष के पट्टे पर दिया जाएगा • विपणन से सम्बन्धित अन्य सूचनार्यें व जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा से प्राप्त की जा सकती हैं • निगम प्रबन्धन को बिना कारण बताये योजना एवं आवंटन प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा व इस सम्बन्ध में कोई दावा मान्य नहीं होगा। आवंटन में निगम की सामान्य नीति एवं शर्तें लागू होगी।

विस्तृत जानकारी के लिये सम्पर्क करें :

क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ.प्र.रा.औ.वि.नि.लि., प्रशासनिक भवन, ई.पी.आई.पी, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा, फोन नं. : 0562-2641924

मुख्यालय कानपुर : प्रभारी (औ.क्षे.), उ.प्र.रा.औ.वि.नि.लि., A-1/4, लखनपुर, कानपुर, फोन नं. : 0512-2581735 (Direct) 2582851-53 (PBX)